आर टी आई स्पीड पोस्ट

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली NEW DELHI - 110011
TEL : 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/67/2013-14

8 मार्च, 2013

सेवा में,
श्री शरद गोडके
निदेशक (सी ए-II/ए एस ओ)
कोयला मंत्रालय,
कमरा सं. 311-बी,(i) तीसरी मंजिल,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री राजेश कुमार साहू पुत्र श्री प्रहलाद दास साहू, पो. कचनी, वैलोहाटोला वाया अमलोटी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, पिन-486887 का दिनांक 1 मार्च 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 6 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 09F 980254 संलग्न कर अपने पूर्व आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है जो कि पूर्व में भी श्रीयुत सचिव कोयला मंत्रालय को अग्रसारित की गई थी। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री राजेश कुमार साहू पुत्र श्री प्रहलाद दास साहू, पो. कचनी, वैलोहाटोला वाया अमलोटी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, पिन-486887 - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

आर टी आई स्पीड पोस्ट

UNDER SECRETARY

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
NEW DELHI 110011
TEL. 23016344/23016422 FAX 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/67/2013-14

8 मार्च, 2013

सेवा में,
श्री शरद गोडके
निदेशक (सी ए-II/ए एस ओ)
कोयला मंत्रालय,
कमरा सं. 311-बी,(i) तीसरी मंजिल,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री राजेश कुमार साहू पुत्र श्री प्रहलाद दास साहू, पो. कचनी, वैलोहाटोला वाया अमलोटी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, पिन-486887 का दिनांक 1 मार्च 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 6 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 09F 980254 संलग्न कर अपने पूर्व आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है जो कि पूर्व में भी श्रीयुत सचिव कोयला मंत्रालय को अग्रसारित की गई थी। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी महोदय,
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
नई दिल्ली - 110011.

Vice President's Secretariat
Dy. No. 85
Date 6/3/13
New Delhi

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, के अन्तर्गत जानकारी देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित निम्नलिखित पत्र Speed/Regd/Ord Post द्वारा प्रेषित किया गया है, पर वर्तमान तक क्या कार्यवाई की गई है?

2. दिनांक 03.01.2013, 10.01.13, 17.01.13, 24.01.13, 31.01.13, 07.02.13, 14.02.13, 21.02.13 एवं 28.02.13 (प्रतिलिपि संलग्न) का पत्र।

अत: श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त सूचना प्रदान करने की महान कृपा की जाय।

"सधन्यवाद"

प्रार्थी

(हस्ताक्षर)

(राजेश कुमार साहू)
S/o श्री प्रहलाद दास साहू
पोस्ट - कचनी (बैगाहारोला)
थाना - अमलोरी
जिला - सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

स्थान:- सिंगरौली
दिनांक:- 01.03.2013

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
शुल्क पत्र एवं
[illegible]

महामहिम श्री मो० हामिद अंसारी महोदय,
भारत के उप-राष्ट्रपति,
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय,
नई दिल्ली - 110011.

विषय :— कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी सीएमपीडीआई लिमिटेड राँची द्वारा कोल इण्डिया के एक भू–विस्थापित परिवार के साथ न्याय किए जाने के संबंध में ।

संदर्भ :— सीएमपीडीआई लि. मुख्यालय राँची का पत्र सं. 4753 दि. 16.12.11, प.सं. 5839 दि. 02.03.12, प.सं. 5998 दि. 15.03.12, प.सं. 377 दि. 03.05.12, प.सं. 420 दि.. 04.05.12, प.सं. 1798 दि. 10.08.12, प.सं. 2832 दि. 02.11.12, प.सं. 2950 दि. 07/09.11.12, प.सं. 3162 दि. 26/29.11.12, प.सं. 3344 दि. 11.12.12, प.सं. 3473 दि. 17.12.12 एवं प.सं. 3762 दि. 04.01.13

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के संबंध में प्रार्थना–पत्र निम्न मुख्य बिन्दुओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है:–

1. जब कोल इण्डिया लिमिटेड के किसी भी कर्मचारी एवं अधिकारी का नियुक्ति एवं स्थानांतरण कोल इण्डिया लिमिटेड के एक सहायक कम्पनी से दुसरी सहायक कम्पनी में कोल इण्डिया लि. के स्थापना काल से वर्तमान तक हो रहा है, और होता है तो उसी तर्ज पर कोल इंडिया लि. के जिन–जिन सहायक कम्पनियों द्वारा अर्जित भूमि पर सीएमपीडीआईएल का क्षेत्रीय संस्थान एवं आवासीय परिसर इत्यादि स्थित हैं। उन सहायक कम्पनियों के भू–विस्थापितों/प्रार्थी को कोल इंडिया लि. की ''रिहेबिलिटेशन एवं रिसेटेलमेन्ट पॉलिसी मई – 2008 के तहत् सीधी भर्ती में ओवर ऑल मार्किंग सिस्टम का 05 प्रतिशत अकं का लाभ सीएमपीडीआईएल में क्यों नहीं मिल सकता है ?

2. यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ''सहायक ड्रिलर'' के आवेदन पत्र में तथा साक्षात्कार के दौरान एवं कम्पनी के मुखिया श्रीमान् सी.एम.डी. तथा निदेशक कार्मिक महोदय को समय रहते, प्रार्थी को भू–विस्थापित का लाभ प्रदान करने के संबंध में मौखिक तथा लिखित रूप में विनम्र निवेदन भी किया जा चुका है।

अतः माननीय महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त 05 प्रतिशत भू–विस्थापित के अंक का लाभ दिये/दिलवाते हुए ''सहायक ड्रिलर'' के पद पर रोजगार प्रदान किये/करवाये जाने की महान कृपा की जाय। प्रार्थी का भू–विस्थापित परिवार आपका आजीवन अति–आभारी रहेगा।

यह पत्र श्रीमती सेत कुमारी उर्फ रेउनी देवी पुत्री स्व. श्री बनाफर साहू पत्नी श्री प्रहलाद दास साहू सिंगरौली के सहमति/अनुमोदन से भेजा जा रहा है।

''सधन्यवाद''

प्रार्थी,

(राजेश कुमार साहू)
S/o श्री प्रहलाद दास साहू
पोस्ट – कचनी (वैलौहाटोला)
वाया – अमलोरी
जिला–सिंगरौली (मध्यप्रदेश) 486887
मो. नं. – 09425858267

स्थान :– सिंगरौली
दिनांक :– 28.02.2013
संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राष्ट्रपति/उप–राष्ट्रपति महोदय एवं मान. प्रधान मंत्री महोदय, नई दिल्ली इत्यादि।